न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 19/2017

मिश्री पुत्र श्री सुबान जाति मेहरात निवासी ग्राम धोलादाता तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।

..............प्रार्थी

बनाम

1. रणजीत पुत्र श्री रामा जाति मेहरात
2. सुलेमान पुत्र श्री अहमा जाति मेहरात
3. सुल्तान पुत्र श्री दूला जाति मेहरात
   सभी निवासीगण सुवालिया का नाका ग्राम श्यामगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय – मसूदा, तहसील मसूदा जिला अजमेर।

................अप्रार्थीगण

राजस्व0 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व0 अधिनियम

प्रार्थी ने इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि ग्राम कुमपुरा पटवार हल्का धोलादाता भू0 अ0 नि0 क्षैत्र खीमपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 105 रक्बा 04–10–10 विद्या भूमि प्रार्थी के खुदकाश्त से खातेदारी की भूमि है। जिसमें पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण पाल डोल डालने को लेकर विवाद करते रहते है। अतः नियमानुसार पत्थरगढी करवाई जावे।

वकील प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम कुमपुरा की जमाबंदी सम्वत् 2071–74 के खाता सख्या 84 खसरा न0 105 रक्बा 4–10–10 बीघा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में है। अतः ये पत्थगढी करवाने के अधिकारी पाये जाते है प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। और आदेश दिये जाते है कि–

तहसीलदार मसूदा को ग्राम कुमपुरा स्थित प्रश्नगत आराजी ख0 न0 105 रक्बा 4–10–10 बीघा में मौका कमीश्नर रु 3,000/– कोस्ट पर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है। कि यह प्रश्नगत भूमि मौके पर जरिये माप एवं सीमांकन सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी महोदय

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.24 16:14:14:45 IST
Reason: SelfAttested